रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253381
CG-DL-E-27032024-253381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1475] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946
No. 1475] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

विदेश मंत्रालय

(स्थापना प्रभाग)

(तोशाखाना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1544(अ).—जबकि केंद्रीय सरकार सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेषिता, जानकारी) नियमावली, 2020 (उपरोक्त नियमावली) के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 3 के तहत सुशासन हित में नागरिकों के जीवन को सुकर बनाने को बढ़ावा देने और उनके लिए बेहतर सेवा सुलभ करने में सक्षम बनाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर संस्थाओं के अनुरोध पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है,

और जबकि, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा विदेशी स्रोतों से भारत या विदेश में प्राप्त उपहारों को जमा करने के प्रयोजन से विदेश मंत्रालय में एक तोशाखाना है;

और जबकि, विदेश मंत्रालय ने उक्त नियमावली के नियम 4 के तहत केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें विशिष्ट भारतीय पहचान प्राधिकरण का संदर्भ दिया गया है, जिसके संतुष्ट होने पर तोशखाना के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए बोलीदाताओं के प्रमाणीकरण हेतु सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेषिता, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होने पर विदेश मंत्रालय, निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामत: -

(क) तोशाखाना, विदेश मंत्रालय को भारत सरकार के पदाधिकारियों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई उपहार वस्तुओं की नीलामी के लिए तोशाखाना के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान बोलीदाताओं के प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण के प्रदर्शन के लिए बोलीदाताओं का आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है।

(ख) तोशाखाना, विदेश मंत्रालय उक्त अधिनियम के प्रावधानों, बनाए गए नियमों और विनियमों, या उसके तहत जारी किसी भी निर्देश का पालन करेगा।

[फा. सं. क्यू/टीके/551/07/2023]

वाई के सैलास थंगल, अपर सचिव (स्थापना)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Establishment Division)

(TOSHAKHANA SECTION**)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

S.O. 1544(E).—WHEREAS the Central Government under rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (the said rules) may allow Aadhaar authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to service for them;

AND WHEREAS, the Ministry of External Affairs is having a Toshakhana for the purpose of deposit of gifts received in India or abroad by the Government functionaries from foreign sources;

AND WHEREAS, the Ministry of External Affairs submitted a proposal as under rule 4 of the said rules to the Central Government which has made a reference to the Unique Identification Authority of India, which on being satisfied has allowed Aadhaar authentication for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance in respect of authentication of the bidders during registration on e-auction portal for Toshakhana;

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section 4 of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Ministry of External Affairs on being authorized by the Central Government, hereby notifies the following, namely:-

(a) that the Toshakhana, Ministry of External Affairs is allowed to perform Aadhaar authentication of the bidders for the performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for authentication of bidders during registration on e-auction portal for Toshakhana for auctioning of gift items received by the Government of India functionaries from the various sources.

(b) that the Toshakhana, Ministry of External Affairs shall comply the provisions of said Act, rules and regulations made, or any direction issued thereunder.

[F. No. Q/TK/551/07/2023]

Y. K. SAILAS THANGAL, Addl. Secy. (Establishment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA